श्री लालचन्द कटारिया
कृषि मंत्री, राजस्थान

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

श्री भजनलाल जाटव
कृषि राज्य मंत्री, राजस्थान

फसल अवशेष प्रबंधन

"फसल अवशेषों से खाद बनायें, इन्हे जलायें नहीं"

(अ) फसल अवशेष जलाने के दुष्प्रभावः-

★फसल अवशेष जलाने से निकलने वाले धुएं में मौजूद जहरीली गैसों से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव के साथ–साथ वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है।

★फसल अवशेष जलाने से केंचुऐ, मकड़ी जैसे मित्र कीटों की संख्या कम हो जाती है। इससे हानिकारक कीटों का प्राकृतिक नियंत्रण नहीं हो पाता, फलस्वरूप महंगे कीटनाशकों का इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है।

★फसल अवशेष जलाने से मिट्टी में मौजूद लाभदायक सूक्ष्मजीवों की संख्या व उनके काम करने की क्षमता कम हो जाती है।

★जीवांश पदार्थ की मात्रा कम हो जाने से मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है।

(ब) फसल अवशेषों को खेत की मिट्टी में मिलाने के लाभः-

★जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ती है, फसल अवशेष से बने खाद में पोषक तत्वों का भण्डार होता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने से फसलों की पैदावार बढ़ती है तथा फसल को पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलते हैं।

★भूमि में नमी बनी रहती है।

★भूमि में खरपतवारों के अंकुरण व बढ़वार में कमी होती है।

★फसल अवशेष, भूमि के तापमान को बनाये रखते हैं। गर्मियों में छायांकन प्रभाव के कारण तापमान कम होता है तथा सर्दियों में गर्मी का प्रवाह ऊपर की तरफ कम होता है, जिससे तापमान बढ़ता है।

★मृदा की ऊपरी सतह पर छेड़छाड़ न होने के कारण केंचुआ आदि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है।

★मिट्टी भुरभुरी बनने से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है।

★भूमि से पानी के भाप बनकर उड़ने में कमी आती है।

(स) ऐसे करें फसल अवशेष का प्रबंधनः-

★गेहूँ, जौ, सरसों, धान आदि फसलों की कटाई के बाद खेत में शेष रहे फसल अवशेष के साथ ही जुताई कर हल्की सिंचाई करें। इसके बाद ट्राइकोडर्मा का भुरकाव करना चाहिए। ऐसा करने से फसल अवशेष 15 से 20 दिन में कम्पोस्ट में बदल जायेंगे। जिससे अगली फसल के लिए मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे।

★ट्रेक्टर चालित कल्टीवेटर में जाली फंसाकर फसल अवशेष को आसानी से इकट्ठा कर, गड्ढ़े में गोबर का छिड़काव कर दबाने के बाद ट्राइकोडर्मा इत्यादि डालकर बढ़िया कम्पोस्ट तैयार किया जा सकता है।

★फसल अवशेषों के रहते बुवाई में कठिनाई आती है। परन्तु आधुनिक मशीनरी जैसे जीरो ड्रिल, बीज व खाद ड्रिल, हैप्पीसीडर, टरबो सीडर तथा रॉटरी डिस्क द्वारा सीधी बुवाई आसानी से की जा सकती है। इससे भूमि में नमी बनी रहने के कारण दो फसलें आसानी से ली जा सकती हैं।

अधिक जानकारी के लिए निकटतम कृषि कार्यालय में सम्पर्क करें अथवा किसान कॉल सेन्टर के निःशुल्क दूरभाष नं. 1800 180 1551 पर बात करें।

कृषि सूचना, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर
www.agriculture.rajasthan.gov.in

कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कृषक हित में प्रकाशित

मुद्रक : गणेश आर्ट प्रिन्टर्स मो. : 9414047472 मात्रा 2.50 लाख